न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (केम्प भोपाल)

रा0 प्र0क्र0:-- R-2703-PBR/14

प्रस्तुति दिनाँक :----- 12-8-14

आवेदिका / पुनरीक्षण कर्ता :-- श्रीमति गीताबाई बेवा बाबूलाल ब्राहमण
आयु 85 वर्ष निवासी ग्राम रहटाकलाँ तह0
सिराली जिला हरदा

विरूद्ध

श्री ओ.पी. मकरगाये
अभिभाषक द्वारा आज
दिनांक 12-8-14 को
भोपाल कैम्प पर
प्रस्तुत।
12-8-14

अनावेदक / उत्तरवादी:--- बृजमोहन आ0 रामदास गूजर व्यवसाय कृषि
निवासी ग्राम बंदी मुहाडिया तह0 सिराली जिला
हरदा (म0प्र0)

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0भू0 रा0 सं0.

....

उपरोक्त पुनरीक्षण कर्ता / आवेदक श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय हरदा व्दारा रा0प्र0 क्र0 73/अ/6 12 वर्ष 13-14 ग्राम रहटाकलाँ मे पारित आदेश दिनाँक 1-8-14 से क्षुब्ध होकर व असंतुष्ट होकर उस आदेश के अन्त मे उल्लेखित निर्देशानुसार यह पुनरीक्षण याचिका निम्न तथ्यो एवं आधारो के अतिरिक्त अन्य आधारो पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करती है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी A-2703 –पीबीआर/14 जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–8–2014	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 1.8.2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आवेदिका की ओर से सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी । इस सम्बन्ध में अपर कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि संहिता की धारा 50 में हुए संशोधन के फलस्वरूप आवेदन पत्र पर निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार कलेक्टर को नहीं रह गया है । अतः कलेक्टर द्वारा आवेदिका की निगरानी निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । 2/ अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में आवेदिका को सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने की राहत प्रदान की गई है, इसके बावजूद आवेदिका की ओर से सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	

अभिलेखो मे भुमि खसरा क्रमॉक 465/1 रकबा 4.644हे0 स्थित ग्राम रहटा